न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1065—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 09—03—2016 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सीधी, जिला—सीधी के प्र0क्र0 79/अपील/2013—14

.....

शंकर बहादुर सिंह पुत्र कल्याण सिंह बघेल
निवासी—ग्राम साड़ा तहसील चुरहट, जिला—सीधी

.....आवेदक

विरूद्ध

1— सुवेन्द्र कुमार पुत्र रामनोहर पटेल
निवासी—ग्राम साड़ा तहसील चुरहट, जिला—सीधी

2— मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 13/10/2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सीधी, जिला—सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09—03—2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सर्वे क्रमांक 1432 रकबा 0.230 हैक्टेयर है जो शासकीय भूमि थी। उक्त भूमि के अंश भाग अर्थात् 0.040 है0 का पट्टा कब्जे के आधार पर पट्टा ग्रहीता रामस्वरूप, रामअवतार पुत्रगण बाबादीन के नाम भूमि स्वामी के रूप

में नाम पश्चात उक्त सर्वे क्र0 1432 को दो भागों में बाटां गया । जिसका रिक्रमांक 1432/1 रकबा 0.190 है0 तथा 1432/2 रकबा 0.040 है0 पट्टाग्रहीता रामस्वरूप व रामअवतार का नाम भूमिस्वामी के रूप में नाम अंकित चला रहा था, एवं शेष आराजी शासकीय भूमि सर्वे क्र0 1432/1 रकबा 0.190 है0 के अंश भाग अर्थात् रकबा 0.081 है0 पर आवेदक का कब्जा वर्ष 1975 से काबिज होकर आधिपत्य कायम रहा है । उक्त कब्जे के आधार पर आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार चुरहट के समक्ष व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया, जो प्रकरण क्रमांक 14/अ–19/91–92 में पंजीबद्ध होकर दिनांक 11.06.1992 द्वारा व्यवस्थापन का आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश दिनांक 11.06.1992 के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चुरहट, जिला–सीधी के समक्ष अपील मय अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, चुरहट के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 79/अपील/2013–14 पर पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 09.03.2016 द्वारा अपील स्वीकार की गई । इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि नायब तहसीलदार चुरहट के प्र0क्र0 14/अ–19/91–92 आदेश दिनांक 11.06.1992 में पदस्थ नायब तहसीलदार श्री कालिका प्रसाद त्रिपाठी थे जो के टाटा वाहन 407 को अपने निजी कार्य के लिये मांग की गई उक्त वाहन को बिना किराये पर देने से असमर्थता जाहिर की जिससे नायब तहसीलदार नाराज हो जाने के कारण राजस्व प्र0क्र0 14/अ–19/91–92 को अपने पास फाइल रखते हुये, उक्त पट्टे को निरस्त करने की धमकी दिये जाने की कार्यवाही करेंगे । चूँकि आवेदक के पट्टे में कोई त्रुटि नहीं थी, किन्तु आवेदंक के विरूद्ध बजरी उत्खनन की झूठी रिर्पोट कर दी गई । फिर भी उक्त फाइल को अपने पास रखे रहे। उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 11.06.1992 की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया। किन्तु प्रकरण तहसील न्यायालय से प्राप्त नहीं हो पाया । नायब तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण को अपने पास रख लिया और उनका स्थानान्तरण होने के पश्चात भी वे प्रकरण अपने पास ही रखे रहे, जिसकी जांच करने के पश्चात सर्वे क्र0 1432/2 रकबा 0.081 है0 का पट्टा आवेदक के नाम जारी होने सम्बंधी तथ्य की पुष्टि तत्काल नायब तहसीलदार श्री शिवप्रसाद वर्मा एवं तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा जांच कर उक्त तथ्य की पुष्टि की है । उक्त प्रविष्टि में समक्ष

अधिकारी नायब तहसीलदार चुरहट द्वारा विधिवत आदेश दिनांक 11.06.1992 एवं जिसका अमल आदेश दिनांक 30.06.92 पालन में किया गया है । जिसका अमल राजस्व अभिलेख में निरन्तर है । उनका तर्क यह भी है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.2012 में यह स्पष्ट नहीं किया है कि आवेदक के पिता अमर सिंह कब और किस दिनांक को मृत हुये, इस बात का उल्लेख आलोच्य आदेश के पेज नं0 3 पैरा 4 में यह उल्लेख किया है कि रामदयाल लाऔलाद फौत हुये है । अनावेदक 5 भाई एवं आवेदक के पिता अमर सिंह 5 भाई और 2 बहने है, परंतु आवेदक के पिता को मृतक होना बताया जो आज भी जीवित है फिर आलोच्य आदेश में गलत तथ्य का उल्लेख किया है। ऐसा आदेश नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत है एवं भूमिस्वामी रामदयाल को भूमि पट्टे पर प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर भूमिस्वामी रहा और उक्त भूमि स्वअर्जित होने से उक्त भूमि का वसीयत अर्थात अंतिम इच्छापत्र करने का वैधानिक अधिकार है । उसी आधार पर अपने जीवनकाल में अपने पुत्र अमरसिंह के पुत्र अर्थात् नातियों को वसीयत किया है जिसके आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत नामांतरण आदेश पारित किया है । इस कारण अनुविभागीय अधिकारी व अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अभिलेख के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि सर्वे क्रमांक 1432 रकबा 0.230 हैक्टेयर है जो शासकीय भूमि थी। उक्त भूमि के अंश भाग अर्थात् 0.040 है0 का पट्टा कब्जे के आधार पर पटटा ग्रहीता रामस्वरूप, रामअवतार पुत्रगण बाबादीन के नाम भूमि स्वामी के रूप में नाम पश्चात उक्त सर्वे क्र0 1432 को दो भागों में बाटां गया । जिसका रिक्रमांक 1432/1 रकबा 0.190 है0 तथा 1432/2 रकबा 0.040 है0 पट्टाग्रहीता रामस्वरूप व रामअवतार का नाम भूमिस्वामी के रूप में नाम अंकित चला रहा था, एवं शेष आराजी शासकीय भूमि सर्वे क्र0 1432/1 रकबा 0.190 है0 के अंश भाग अर्थात् रकबा 0.081 है0 पर आवेदक का कब्जा वर्ष 1975 से काबिज होकर आधिपत्य कायम रहा है । उक्त कब्जे के

आधार पर आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार चुरहट के समक्ष व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया, जो प्रकरण क्रमांक 14/अ–19/91–92 में पंजीबद्ध होकर दिनांक 11.06.1992 द्वारा व्यवस्थापन का आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश दिनांक 11.06.1992 के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चुरहट, जिला–सीधी के समक्ष अपील मय अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया । जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 09–03–2016 से आवेदन स्वीकार किया गया । जिसे आवेदक द्वारा विधि के विपरीत बताया है । आवेदक ने प्रकरण में शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अनावेदक क्र0 1 मूल प्रकरण में पक्षकार नहीं था। प्रकरण स्वप्रेरणा से तैयार किया गया था तथा अनावेदक क्र0 1 का हित प्रभावित नहीं होता है । अतः अनावेदक क्र0 1 को अपील प्रस्तुत करने अनुमति नहीं दी जा सकती है । धारा 5 म्यांद अवधि विधान के आवेदन के जवाब में बताया कि आवेदक का कब्जा उक्त आराजी पर वर्ष 83–84 से दर्ज है । अतः आवेदक को 83–84 से ही कब्जादार माना जायेगा । आवेदक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है, आवेदक ने अपने तर्क में कहा है कि अनावेदक क्र0 1 अधीनस्थ न्यायालय में मूल प्रकरण में पक्षकार नहीं था और अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन करने से भी यही तथ्य प्रकट होता है कि अनावेदक क्र0 1 प्रकरण में पक्षकार नहीं था । चूँकि अनावेदक क्र0 1 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नहीं था, तो स्वाभाविक है कि उसे प्रकरण की जानकारी विलम्ब से प्राप्त हुई होगी। । जहॉ तक अपील की अनुमति का प्रश्न है, भूमि मध्यप्रदेश शासन से पट्टा दिये जाने से सम्बधित है । अनावेदक क्र0 1 की भूमि उक्त भूमि से लगी हुई है, जिससे आवागमन प्रभावित हो सकता है । अतः अनावेदक क्र0 1 हितबद्ध पक्षकार है ।

6/ अपील में शासकीय भूमि के सम्बन्ध में राजस्व प्रलेखों में कूट रचना की जांच विचाराधीन है । अतः अपील तर्ककीय है, और इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण को गुण–दोषों के आधार पर निराकरण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया तथा धारा 5 म्यांद अवधि विधान एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई तथा आवेदन स्वीकार किया गया । मैं अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश से सहमत हूँ, क्योंकि प्रकरण का निराकरण दोनों पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर देकर एवं साक्ष्य को प्रकरण में किया जाना उचित होगा, ताकि हितबद्ध पक्षकार न्याय से वंचित न हो सके ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, रामपुर नैकिन, जिला–सीधी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2016 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर